न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 31/2019

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 16/05/2019

निर्णय दिनांक : 19/11/2019

नरेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र रघुनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी कचनारिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी
श्री रामजीलाल शर्मा
श्री संजय सिंह सिरोही
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 19/11/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या 160 के आराजी खसरा नम्बर 163, 164, 1170 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6000 हैक्टेयर वाके ग्राम कचनारिया तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान के राजस्व रिकार्ड में प्रेम कंवर धर्मपत्नि मगन सिंह जाति राजपूत के नाम से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है प्रेमकंवर के जीवित समय से ही वादी उक्त आराजी में काबिज काश्त है। वादी के प्राकृतिक पिता स्व0 छीतर सिंह है वादी को स्व0 रघुनाथ सिंह ने गोद पुत्र रख लिया था। स्व0 नाहर सिंह ना औलाद होने से मगन सिंह के गोद जाने से पगडी बांधी गई थी स्व0 मगन सिंह स्वयं भी नाऔलाद फौत हुये जिनके यहां पर रघुनाथ सिंह गोद आये इस प्रकार स्व0 रघुनाथ सिंह की सम्पति उनकी बेवा रतन कंवर को प्राप्त हुई जिसका फौती नामांतकरण नरेन्द्र सिंह के नाम खोला गया और मगन सिंह के एकमात्र वारिश रघुनाथ सिंह व प्रेम कंवर थे इस दरमियान रघुनाथ सिंह

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

दिनांक 28.03.1997 को फौत हो गये। जिनकी सम्पति वरवक्त इनकी पत्नि प्रेमकंवर बेवा मगन कंवर के नाम उपरोक्त आराजी में नाम दर्ज हो गया जो वर्तमान में प्रेम कंवर के फौत हो जाने से श्री स्व0 मगन सिंह के एकमात्र वारिश रघुनाथ सिंह के दत्तक पुत्र वादी के नाम विरासत का नामांतकरण राजस्व कारकुनानों द्वारा दर्ज किया जाना था लेकिन वादी के आवेदन के बावजूद दर्ज नही किया गया। विवादित आराजी पर स्व0 रघुनाथ सिंह के समय से ही वादी काबिज काश्त है वादी के हक में गोदनामा स्व0 रतन कंवर द्वारा दिनांक 18.10.2006 को तकमील कराया गया था व स्व0 मगन सिंह का दिनांक 14.05.1988 को देहान्त हो गया था उसके पश्चात स्व0 रघुनाथ सिंह का देहान्त दिनांक 28.03.1997 को हो गया था। स्व0 रतन कंवर जो वादी की दत्तक माता है जिसका देहान्त दिनांक 30.06.2007 को हो गया था इसी प्रकार रतन कंवर की दत्तक सास प्रेमकंवर का दिनांक 10.04.2011 को निधन हो गया था जिसका विरासत का नामांतकरण वादी के नाम तस्दीक नही किया गया है वादी के दत्तक पिता की पैतृक सम्पति होने से वादी एकमात्र वारिश है प्रेमकंवर बेवा द्वारा उक्त आराजी बाबत किसी प्रकार की वसीयत आदि नही की गई है वादी एकमात्र उक्त आराजी का विरासत का नामांतकरण खुलवाने का अधिकारी है मौके पर उक्त आराजी पर नरेन्द्र सिंह, प्रेम कंवर के समय से ही वादी खातेदारान के रूप में काबिज काश्त है। यह कि वादी ने प्रतिवादी के यहां विरासत का नामांतकरण खोले जाने हेतु मौखिक व लिखित में निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने वादी को उक्त आराजी का नामांतकरण दर्ज नही किया जिससे वादी का उक्त वाद पत्र पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी खाता संख्या 160 के आराजी खसरा नम्बर 163, 164, 1170 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6000 हैक्टेयर वाके ग्राम कचनारिया तहसील दूदू जिला जयपुर की घोषणा वादी के हक में की जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार दूदू को भिजवायी जावे।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की, जो शामिल पत्रावली किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं दस्तावेजात जमाबन्दी खतौनी संख्या 160 वाके ग्राम कचनारिया, गोदनामा दिनांक 19/10/2006, सिजरा प्रमाण–पत्र, फोटो प्रति कार्यवाही रजिस्टर, फोटो प्रति गोदनामा, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण–पत्र मगन सिंह, रघुनाथ सिंह, प्रेमकंवर, रतनकंवर, सत्य प्रति निर्णय दिनांक 05/08/2017 न्यायालय ए.सी.जे.एम. एवं पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 160 की आराजी वर्तमान में खातेदार प्रेमकंवर धर्मपत्नी मगन सिंह, जाति राजपूत सा0 देह के नाम से दर्ज है, जबकि वादी ने अपने वाद–पत्र में अपने आपको प्रेमकंवर का वारिश बताते हुये सम्पूर्ण आराजीयात की अपने नाम घोषणा चाही है, इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत सिजरा अनुसार स्व0 नाहर सिंह ना औलाद फौत होने से उनके मगन सिंह गोद चले गये, जिससे मगन सिंहजी के पगडी बांधी गई थी स्व0 मगन सिंह स्वयं भी नाऔलाद फौत हुये जिनके यहां पर रघुनाथ सिंह गोद आये इस प्रकार स्व0 रघुनाथ सिंह की सम्पति उनकी बेवा रतन कंवर को प्राप्त हुई जिसका फौती नामांतकरण नरेन्द्र सिंह के नाम खोला गया और मगन सिंह के एकमात्र वारिश रघुनाथ सिंह व प्रेम कंवर थे इस दरमियान रघुनाथ सिंह दिनांक 28.03.1997 को फौत हो गये। जिनकी सम्पति वरवक्त इनकी पत्नि प्रेमकंवर बेवा मगन कंवर के नाम उपरोक्त आराजी में नाम दर्ज हो गयी है, वादी ने इसके समर्थन में असल गोदनामा दिनांक 09/01/2006, गोदनामा दिनांक 15/05/1998 व पंचायत कार्यवाही रजिस्टर की नकल पेश की हैं, गोदनामा के अनुसार रतन कंवर जो कि रघुनाथसिंहजी की पत्नी है ने नरेन्द्र सिंह को गोद लिया जाना पाया जाता है एवं इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजि0 दूदू का निर्णय दिनांक 05/08/2017 के अनुसार भी वादी को स्व0 रतन कंवर का वारिश घोषित किया गया हैं एवं वादी ने जो साक्ष्य गवाहान पेश किये है, उससे भी वादी के वाद की ताईद होती हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 163, 164, 1170 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6000 हैक्टेयर वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

कचनारिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

(प्रपत्र शीर्ष: राज पंचायत ...)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S)

नरेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र रघुनाथ-सिंह राजपूत नि० कचनारिया बनाम तहसीलदार तहसील दूदू

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 31/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी एड०

व हाजिरी

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री रामजीलाल शर्मा एड०

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आ० ख० न० 163, 164, 1170 कुल किता-3 कुल रकबा 0.6000 है० वाके ग्राम कचनारिया तहसील दूदू जिला जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .... फीसदी .... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 – माह 11 – सन 2019 को

जारी की गई।

मुहर (मुहर: उपखण्ड अधिकारी दूदू)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner